29.4.26 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली मे बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर पत्रावली मे प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संलग्न न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बेगू मे वादीया द्वारा तहसीलदार बेगू को प्रा-पत्र प्रस्तुत कर आराजी सं. 2921/1668 भूमि के सम्बन्ध मे स्थगन पेश किया गया। जब वादीया ने न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश से स्थगन प्राप्त किया हुआ है तो इस न्यायालय मे वाद वर्णित आराजीयात मे बटवारा कराने हेतु क्यों पेश किया हुआ है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4.2.26 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री भी जारी कर दि गई है। जब कि स्थगन 5-4-2024 को पारित किया हुआ है। ये तथ्य वादीया ने न्यायालय से छिपाया है। एवं दिनांक 21.5.24 के बाद स्थगन की स्थिति से भी आज दिनांक तक वादीया ने अवगत नही कराया गया है। एवं वकील वादीया द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा-पत्र आदेश 01 नि.10 जा.दी. मे स्थगन का अंकन नही किया ऐसी स्थिति मे वाद वादीया व वादी का वाद एतद् द्वारा खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)